

30/05/24

पन्नावली पेश हुई। प्राथमिक वकील अनु०।  
न्यायालय समय में प्राथमिक वकील को रुक-  
रुक कर तीन बार आवाज लगाई लेकिन कोई  
उप० नहीं आया। अतः प्राथमिक का आवेदन  
अदम वैरवी अदम हाजरी में खारीज किया जाता  
है। पन्नावली केसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर  
हो।

उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन

